रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 799] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 9, 2018/कार्तिक 18, 1940
No. 799] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 2018/KARTIKA 18, 1940

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1096(अ).—चूंकि वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की तारीख 12 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 864(अ) के द्वारा भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए, जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गईं;

और चूंकि उक्त अधिसूचना की राजपत्र में प्रकाशित प्रतियां तारीख 12 सितम्बर, 2018 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थीं;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रारूप नियमों के बावत प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (सातवां संशोधन) नियम, 29 घ 2018 है

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में (इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा जाए) में, नियम 29 घ में,--

(क) उप-नियम (1) में, --

(क) खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाए, अर्थात;--

'(i) नियम 134 या नियम 134 क के अधीन जारी अनुसूचित या गैर-अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञा का धारक हो और विमान और/या हेलीकॉप्टर, यथा स्थिति, प्रचालन में संलग्न हो'; या;

(ख) खंड (iv) में, "वायुयान" शब्द के स्थान पर, "नियम 133 ख के अधीन अनुमोदित वायुयान इंजन या प्रोपेलर" शब्दों को रखा जाए;

(ग) खंड (v) में, "वायुयान" शब्द के स्थान पर, "नियम 133 ख के अधीन अनुमोदित वायुयान इंजन या प्रोपेलर" शब्दों को रखा जाए;

(घ) खंड (vi) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाए, अर्थात;-

"(vi) नियम 133 ख के अधीन अनुमोदित अनुरक्षण संगठन हो और विमान या हेलीकॉप्टर के अनुरक्षण में संलग्न हो; या";

(ख) स्पष्टीकरण में, मद (क) के स्थान पर, निम्नलिखित मद को रखा जाए, अर्थात्:-

"(क) सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रंबधक सुरक्षा के उस सुव्यवस्थित दृष्टिकोण से अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत आवश्यक संगठनात्मक संरचना, जवाबदेही, जिम्मेदारी, नीतियां और प्रक्रियाएं हों,;"

(3) उक्त नियम के नियम 82 में, उप-नियम (1) में, "कोई ऐसा स्थान जहाँ पर पहुँचना आवश्यक हो, वहाँ सभी युक्ति-संगत समय या अन्तराल पर प्रवेश कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "अनिर्बंधित और असीमित पहुँच कर सकेगा" शब्दों को रखा जाए;"।

(4) उक्त नियम के नियम 134ख के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को रखा जाए, अर्थात् :-

"**134ख हवाई कार्य- (1)** कोई व्यक्ति तब तक कोई हवाई कार्य नहीं कर सकेगा जब तक कि उसके पास महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार पत्र न होः

परन्तु यह तब जब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो नियम 134 क के उप-नियम (2) के अधीन दिया गया विधिमान्य गैर-अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञा का धारक है, ऐसी अपेक्षाओं जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हों, का अनुपालन करते हुए ऐसे प्राधिकार पत्र के बिना हवाई कार्य कर सकेगा।

(2) विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर और इस बात का समाधानप्रद हो जाने पर कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं पूरी कर ली गई है, महानिदेशक किसी व्यक्ति को हवाई कार्य करने के लिए प्राधिकार पत्र जारी कर सकेंगे। प्राधिकार की सतत् विधिमान्यता ऐसी शर्तें जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हों, के अनुपालन के अधीन होंगे।

(3) उप-नियम (2) के अधीन दिया गया प्राधिकार पत्र दो वर्ष से अनधिक अवधि जिसे एक बार दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा, के लिए, तब तक विधिमान्य होगा जब तक कि वह निलंबित या रद्द न कर दिया गया हो।

(4) इस नियम के अधीन प्राधिकार पत्र देने के लिए 50,000/- रुपये और उसके नवीकरण के लिए 25,000/- रुपये की फीस संदेय होगी। यह फीस महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में संदाय की जा सकेगी।

(5) महानिदेशक का इस बात का समाधानप्रद हो जाने पर कि--

(i) प्राधिकार पत्र के धारक द्वारा प्राधिकार पत्र की किन्हीं शर्तों में से किसी शर्त का अनुपालन नहीं किया गया है, या

(ii) कोई सूचना छिपा कर या कोई गलत सूचना देकर प्राधिकार पत्र प्राप्त किया गया है, या

(iii) भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा प्राधिकार पत्र के धारक की सुरक्षा अनापत्ति वापस ले ली गई है या इनकार कर दी गई है, इस नियम के अधीन जारी प्राधिकार पत्र को ऐसी अवधि जिसे वह उचित समझे, के लिए रद्द या निलंबित कर सकते हैं।

परन्तु ऐसे किसी प्राधिकार पत्र को उस प्राधिकार पत्र के धारक को लिखित रूप में उस आधार जिस पर प्राधिकार को निलंबित या रद्द करने का प्रस्ताव है, सूचना देते हुए और ऐसे युक्तिसंगत समय जिसे नोटिस में विनिर्दिष्ट किया गया है, के भीतर लिखित रूप में अभ्यावेदन देने और यदि वह व्यक्ति सुने जाने की ऐसी इच्छा करता है, यथोचित समय देते हुए, कारण-बताओ नोटिस जारी किए बिना रद्द या निलंबित नहीं किया जा सकेगा।

(6) उप-नियम (5) में निहित किसी बात के होते हुए, यदि महानिदेशक की राय यह है कि लोक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, महानिदेशक का इस बात का समाधानप्रद हो जाने पर कि इन कमियों को दूर किए जानें तक प्राधिकारप्त्रों को सरसरी तौर पर निलम्बित किया जा सकेगा।"

[फा. सं. एवी-11012/103/2015-ए]

अरूण कुमार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना संख्या वी-26 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 25 अक्तूबर, 2018 की सा.का.नि.सं. 1066(अ) द्वारा किए गए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2018

G.S.R. 1096(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published in the Gazette of India, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, number G.S.R. 864(E), dated the 12th September, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 12th September, 2018;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public in respect of the draft rules within the period specified in the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act,1934 (XXII of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely: —

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Seventh Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 29D,—

(A) in sub-rule (1), —

(a) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely: —

"(i) is holding a Scheduled or Non-Scheduled Operator's Permit issued under rule 134 or 134A and engaged in the operation of aeroplanes or helicopters, as the case may be; or";

(b) in clause (iv), for the word "aircraft", the words "aircraft, engines or propellers approved under rule 133B" shall be substituted;

(c) in clause (v), for the word "aircraft", the words "aircraft, engines or propellers approved under rule 133B" shall be substituted;

(d) for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely:—

"(vi) is a maintenance organisation approved under rule 133B and engaged in the maintenance of aeroplanes or helicopters; or";

(B) in the Explanation, for item (a), the following item shall be substituted, namely:—

"(a) "Safety Management System" means a systematic approach to managing safety, including the necessary organisational structures, accountability, responsibilities, policies and procedures;".

(3) In rule 82 of the said rules, in sub-rule (1), for the words "may, at all reasonable times or intervals, enter any place to which access is necessary and", the words "shall have unrestricted and unlimited access" shall be substituted;

(4) For rule 134B of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"**134B. Aerial Work. –** (1) No person shall undertake any aerial work unless he holds an authorisation issued by the Director-General:

Provided that any person holding a valid Non-Scheduled Operator's Permit granted under sub-rule (2) of rule 134A may undertake aerial work without holding such authorisation, subject to compliance with such requirements as specified by the Director-General.

(2) The Director-General shall issue an authorisation for undertaking aerial work to any person on receipt of an application in prescribed format and on being satisfied that the requirements as specified in this behalf have been met. The continued validity of the authorisation shall be subject to compliance of such conditions as specified by the Director-General.

(3) The authorisation granted under sub-rule (2) shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period not exceeding two years, which shall be renewed for a period not exceeding two years at a time.

(4) A fee of Rs. 50,000/- shall be payable for grant of authorisation under this rule and Rs. 25,000/- for renewal thereof. The fee shall be paid in a manner specified by the Director-General.

(5) The Director General, on being satisfied that —

(i) any of the conditions of the authorisation has not been complied with by the holder of the authorisation, or

(ii) the authorisation was obtained by suppressing any information or by giving wrong information, or

(iii) the security clearance of the holder of the authorisation has been withdrawn or denied by the Central Government, Ministry of Home Affairs,

shall cancel or suspend the authorisation issued under this rule, for such period as he thinks fit:

Provided that no such authorisation shall be cancelled or suspended without giving a show cause notice, in writing, informing the holder of authorisation the ground on which it is proposed to suspend or cancel the authorisation and giving him a reasonable opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as specified in the notice and, if that person so desires, of being heard.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (5), if the Director-General is of the opinion that in the interest of public safety or national security it is necessary so to do, he may, for reasons to be recorded in writing, summarily suspend the authorisation till the deficiencies are resolved to the satisfaction of Director-General."

[F. No. AV.11012/103/2015-A]

ARUN KUMAR, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 1066(E), dated the 25th October, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2018.11.10 08:49:11 +05'30'